न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महो, राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

निग. प्र.क्र.– निग० 3179-I/16 सन् 2016

श्रीमती सगुन बाई पत्नी श्री भुवानीदीन यादव
ग्राम बरकोंहा, तहसील व जिला–छतरपुर(म.प्र.) ....निगरानीकर्ता

बनाम

1. मुस. कमलीबाई पत्नी स्व. श्री धनुवा बसोर
2. खज्जी उर्फ रामखिवन तनय स्व. श्री धनुवा
3. लक्ष्मी बसोर तनय स्व. श्री धनुवा बसोर
4. घंसू यादव तनय श्री वन्ती यादव समस्त निवासीगण ग्राम बरकोंहा तहसील छतरपुर जिला–छतरपुर(म.प्र.)
5. शासन म.प्र.

.... गैरनिगरानीकर्ता / उत्तरवादीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू. राजस्व संहिता
निगरानी विरूद्व प्र.क्रं. 50/अ–21/13–14 आदेश दिनांक 25.06.16 अपर कलेक्टर महोदय छतरपुर ! **म. प्र. शासन बनाम मुस. कमली बाई बगैरह !**

महोदय,

निगरानीकर्ता **श्रीमती सगुन बाई यादव** पत्नी **श्री भुवानी दीन यादव** ग्राम बरकोंहा, तहसील व जिला–छतरपुर (म.प्र.) की हूँ जो कि निम्न लिखित निगरानी सादर पेश करती हूँ कि :–

–:: निगरानी के तथ्य ::–

1. यह कि भूमि **ख.नं. 1090/2 रकवा 3.304 हेक्टर में से 2/3 हिस्सा (2.202 हेक्टर)** स्थित मौजा बरकोहा, तहसील व जिला–छतरपुर म.प्र. निगरानीकर्ता श्रीमती सगुन बाई ने जरिये **रजिस्ट्रर्ड बिक्रय पत्र दिनांक 11.03.2013** को गैर निगरानीकर्ता क्रं. 1, 2 मुस. कमलीबाई पत्नी स्व. श्री धनुवा बसोर, खज्जी उर्फ रामखिवन तनय स्व. श्री धनुवा से मुव. 4,50,000.00 (चार लाख पचांस हजार रू.) क्रय की थी ! मौके पर निगरानीकर्ता को कथित आराजी का कब्जा प्राप्त हो गया है किन्तु गैर निगरानीकर्ता क्रं. 4 घंसू यादव तनय श्री वन्ती यादव की शिकायत पर मान्नीय अपर कलेक्टर महोदय छतरपुर द्वारा प्र.क्रं. 50/अ–21/13–14 आदेश दिनांक 25.06.16 के तहत कथित भूमि को शासकीय घोषित कर दिया गया है जिससे दुखित होकर निगरानी कर्ता निम्नलिखित ठोस एवं सुढ़ढ़ आधारो पर निगरानी सादर प्रस्तुत करती है कि :–

–:: निगरानी के आधार ::–

1. यह कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में विधि एवं तथ्य की भूल की है कथित प्रकरण में योग्य अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर महो, छतरपुर द्वारा विवादित आदेश में स्वंय लेख किया है कि " **वाद भूमि का पट्टा धनुवा तनय मिरैइया बसोर को शासन** म.प्र. द्वारा संवत **2027 (वर्ष 1970)** में प्रदान

क्रंमशः .... 2 पर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निगरानी- 3179- एक/2016

जिला-छतरपुर

श्रीमती सगुन बाई **विरूद्ध मुस. कमली बाई आदि**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक ब्राहम्ण की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। आवेदक अभिभाषक के द्वारा कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 50/अ-21/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 25-06-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 19-09-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना	
11.01.19		

होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रमं में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेजा जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

11.01.19
(आर.के. जैन)
सदस्य